

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

उभय पक्ष उपस्थित पीडित अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 18-9-18 को पेश हो।

18-9-18

उभय पक्ष उपस्थित पीडित अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 31-10-18 को पेश हो।

30-10-18

उभय पक्ष उपस्थित पीडित अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 21-12-18 को पेश हो।

21-12-18

उभय पक्ष उपस्थित पीडित अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 8-1-19 को पेश हो।

8-1-19

पत्रावली पेश हुई वकील वादिया उपस्थित, तहसीलदार मांडल से पूर्व आदेश की चालना में विभाजन स्कीम प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली की गयी। प्राप्त विभाजन स्कीम पर बहस करनी चाये। बहस सुनी गयी, बहस के दौरान वादिया ने प्राप्त विभाजन

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

